

अध्याय-III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनके/उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017 से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (मा0से0क0) का प्रशासन भी देख रहा है।

माल एवं सेवा कर¹ राज्य के भीतर माल अथवा सेवाओं (मानव उपभोग के लिये मदिरा एवं पाँच विशिष्टीकृत पेट्रोलियम उत्पादों² को छोड़कर) की आपूर्ति पर पृथक-पृथक एवं समवर्ती रूप से संघ (के.मा.से.क.) एवं राज्यों (रा.मा.से.क.)/संघ शासित प्रदेश (सं.शा.प्र. मा.से.क.) के द्वारा आरोपित की जाती है। अग्रेतर, नये कर विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत माल अथवा सेवाओं के अन्तर्राज्यीय आपूर्ति (आयात सहित) पर एकीकृत मा.से. क. (ए.मा.से.क.) आरोपित किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग की कुल 845 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 105 लेखापरीक्षित इकाइयों³ के अभिलेखों⁴ की नमूना जाँच में 544 मामलों में निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें जिनमें ₹ 315.03 करोड़ की धनराशि निहित है, प्रकाश में आयीं, जैसा कि सारणी-3.1 में सारणीकृत हैं।

सारणी-3.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर का अवनिर्धारण	228	266.30
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	2	0.02
3	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	114	9.58
4	ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	79	3.78
5	अन्य अनियमितताएँ ⁵	121	35.35
योग		544	315.03

विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) वर्ष 2019-20 के एक मामले में ₹ 0.49 लाख की धनराशि को स्वीकार किया और इसी मामले में ₹ 0.49 लाख की वसूली प्रतिवेदित की। अग्रेतर, वर्ष 2019-20 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में विभाग ने (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) ₹ 27.21 करोड़ के 321 मामलों को स्वीकार किया और 238 मामलों में ₹ 4.50 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

¹ केन्द्रीय मा.से.क.: के.मा.से.क. एवं राज्य/संघ शासित प्रदेश मा.से.क.: रा.मा.से.क./संघशा. प्र.मा.से.क.।

² पेट्रोलियम उत्पादों: कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, वैमानिकी ईंधन एवं प्राकृतिक गैस।

³ इसमें कमिश्नर वाणिज्य कर (विभागाध्यक्ष), आगरा पीठ 1 अभिकरण के सदस्य, 19 ज्वाइन्ट कमिश्नर, 69 खण्ड, 05 सचल दल इकाइयाँ, 4 प्रशासनिक इकाइयाँ एवं 6 मनोरंजन कर अधिकारी सम्मिलित हैं।

⁴ वेट के मामले एवं मनोरंजन कर के पुराने मामलों के।

⁵ अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा अधिक धन की वसूली की जब्ती न किये जाने, अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत न किये जाने, वसूले गये राजस्व को कोषागार में विलम्ब से जमा किये जाने, प्रपत्रों/पंजियों के रखरखाव न किये जाने, आदि।

यह अध्याय ₹ 195.62 करोड़ के 19 मामलों की विवेचना करता है। ये मामले उन करनिर्धारण वर्षों से सम्बन्धित हैं जिन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 लागू होता था। विभाग ने ₹ 19.01 करोड़ धनराशि के 11 मामलों को स्वीकार किया, जिसमें से दो मामलों में विभाग ने ₹ 47.79 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार-बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि सारणी-3.2 में वर्णित है।

सारणी-3.2

प्रेक्षण की प्रकृति	(₹ करोड़ में)											
	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर का लगाया जाना	132	7.49	35	2.72	24	2.00	58	12.36	13	1.95	262	26.52
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना	-	-	15	0.82	-	-	-	-	01	12.68	16	13.50
ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	30	5.31	8	2.17	30	1.53	28	2.56	-	-	96	11.57
अननुमन्य आई0टी0सी0	21	0.87	15	0.77	20	1.18	27	1.01	18	4.52	101	8.35
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	25	8.75	14	2.98	28	8.05	69	26.80	25	16.29	161	62.87

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुति:

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण अभी प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अधोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि ध्यान जी0एस0टी0 के प्रशासन पर केन्द्रित रहेगा।

3.3 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 355.54 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, कर की दरों को सत्यापित किये बिना, कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 26.44 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008, के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने छः वा0क0का0 में 1,575 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि सात व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2013-14 से 2016-17 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2016 एवं जुलाई 2019 के मध्य), ₹ 355.54 करोड़ के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी

चार से 15.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ 26.44 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ (परिशिष्ट-III)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को (सितम्बर 2019 एवं मई 2020 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में (अप्रैल 2021), विभाग ने छः मामलों में ₹ 2.81 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से एक मामले में ₹ 38.71 लाख की वसूली उनके द्वारा प्रतिवेदित की गयी। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया (जुलाई 2021)। इस एक अवशेष मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी-3.3 में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.3

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	डि०कमि० खण्ड-1 वा० क०, अम्बेडकरनगर: उ०प्र० वेट अधिनियम/नियमावली के नियम 9(1)/9(3) के अन्तर्गत ₹ 31.94 करोड़ मूल्य के माल की मानी गई बिक्री पर करारोपण नहीं किया गया। अतएव, ₹ 23.63 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ था।	विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रतिप्रेषित वाद के अन्तर्गत एकपक्षीय करनिर्धारण पर था। धारा 32 के अन्तर्गत एकपक्षीय कर निर्धारण को पुनः खोला गया। पुनः खोले गये वाद को ₹ 6.25 करोड़ की मांग के साथ पुनः एकपक्षीय पारित किया गया।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 28 फरवरी 2019 को पारित किये गये करनिर्धारण आदेश में सृजित ₹ 21.84 करोड़ की मांग को ₹ 6.25 करोड़ तक क्यों घटा दी गई के कारण से अवगत नहीं कराया। यद्यपि कि दोनों कर निर्धारण आदेश (पूर्ववर्ती एवं पुनरीक्षित) एकपक्षीय थे, करयोग्य टर्नओवर को ₹ 293.05 करोड़ से ₹ 80 करोड़ तक घटाने का कारण अभिलेखों पर नहीं पाया गया था। अग्रेतर, न तो व्यापारी प्राप्ति-भुगतान के लेखाभिलेखों द्वारा सत्यापन के लिये उपस्थित हुआ था और न ही माल की बिक्री/अन्तरण का कोई अतिरिक्त ब्यौरा प्रस्तुत किया था।

3.4 टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008⁶ के अन्तर्गत, कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्रा०) से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें।

लेखापरीक्षा ने (जून 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) चार वा०क०का० के 2,104 व्यापारियों के द्वारा दाखिल व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाते तथा वार्षिक तुलनपत्र, वर्तमान एवं विगत वर्षों के कर निर्धारण आदेशों, आदि की नमूना जांच की और पाया कि छः व्यापारियों ने ₹ 1,571.43 करोड़ मूल्य के टर्नओवर को वर्ष 2014-15 से 2015-16 के विवरणियों में क०नि०प्रा० के समक्ष प्रकट नहीं किया था। टर्नओवर के ब्यौरे व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में उपलब्ध थे। क०नि०प्रा० ने (मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय पुस्तकों, खातों, प्रपत्रों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया फलतः ₹ 1,571.43 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर के परिणामस्वरूप टर्नओवर के कर निर्धारण से छूट जाने के फलस्वरूप ₹ 155.77 करोड़ का कर अनारोपित रहा (परिशिष्ट-IV)।

⁶ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 28।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2019 एवं मई 2020 के मध्य)। उत्तर में (अप्रैल 2021), विभाग ने दो मामलों में ₹ 4.12 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया (अप्रैल 2021)। मामले में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी-3.4 में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.4

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	ज्वा० कमि० (का० स०) – प्रथम वा० क०, कानपुर: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० (पीवीवीएन एल), वाराणसी द्वारा ₹ 3.53 करोड़ की कटौती लिए जारी स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के प्रमाणपत्र (फार्म 31) को क०नि०प्रा० द्वारा अननुमन्य किया गया। स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाणपत्र से यह सिद्ध होता है कि व्यापारी ने ₹ 88.31 करोड़ की (टीडीएस का 25 गुना) के बिजली के सामानों की आपूर्ति की गई है। इस प्रकार, टीडीएस के प्रमाणपत्र की अननुमन्यता के द्वारा माल की आपूर्ति को भी 14 प्रतिशत की दर से कराधान किया जाना चाहिए था।	विभाग ने कहा कि व्यापारी के ₹ 600.42 करोड़ के सकल बिक्री पर पाँच प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत की दर से कुल ₹ 72.53 करोड़ का कर आरोपित किया गया था। बीजकों एवं अनुलग्नक-ख से यह भी स्पष्ट है कि टीडीएस प्रमाणपत्र के विरुद्ध की गई आपूर्ति/बिक्री पर 14/14.5 प्रतिशत की क्रमिक दर से कराधान किया गया था।	विभाग का उत्तर निम्नलिखित आधार पर स्वीकार्य नहीं है: (i) क०नि०प्रा० ने मार्च 2019 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० (पीवीवीएनएल) वाराणसी को की गई बिक्री से सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति देने एवं व्यापारी द्वारा दाखिल टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए व्यापारी को एक नोटिस जारी की थी। प्रत्युत्तर में, व्यापारी ने कहा कि उसने पावर ग्रिड कारपोरेशन के अनुबन्ध के अनुसरण में आपूर्ति/बिक्री की थी। उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 34 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने वाले व्यक्ति पर टीडीएस कटौती का दायित्व है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत टीडीएस कटौती से यह स्पष्ट है कि केवल पीवीवीएनएल ने ही उनको की गई आपूर्ति/बिक्री के लिए ही भुगतान किया था। (ii) क०नि०प्रा० ने दिनांक 15 मार्च 2019 को पारित कर निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया था कि व्यापारी द्वारा दाखिल टीडीएस प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जायेगा एवं यदि कुछ भी विपरीत पाया जाता है तो व्यापारी के विरुद्ध धारा 29(7) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। किन्तु लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस मुद्दे पर विभाग का उत्तर मौन है। (iii) क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, स्पष्ट रूप से यह कहा था कि व्यापारी द्वारा घोषित टर्नओवर विश्वसनीय नहीं था और स्वीकृत टर्नओवर में मात्र पाँच करोड़ की वृद्धि की थी (जो कि उसके सकल टर्नओवर का कठिनाई से एक प्रतिशत था), जबकि विभाग के उत्तर (अप्रैल 2021) में कहा गया कि व्यापारी किसी करापवंचन में लिप्त नहीं थे एवं अपने समस्त टर्नओवर को अपने विवरणी में

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
			प्रदर्शित किया था, जो कि क०नि०प्रा० द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के विरोधाभासी है। (iv) विभाग ने कहा कि टीडीएस प्रमाणपत्र के विरुद्ध की गई समस्त आपूर्ति/बिक्री पर कराधान किया गया था, किन्तु कोई समर्थित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अवशेष ₹ 139.29 करोड़ की धनराशि के तीन मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (जुलाई 2021)।

3.5 स्रोत पर काटे गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर देय ब्याज को प्रभारित नहीं किया गया

व्यापारी ने ₹ 5.26 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को विलम्ब से जमा किया था, जिस पर ₹ 1.18 करोड़ का ब्याज प्रभार्य था, किन्तु कर-निर्धारण के समय प्रभारित नहीं किया गया था।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008⁷ के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के प्रयोग में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत, देय धनराशि में से चार प्रतिशत धनराशि की कटौती करेगा। कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को जमा करने में असफल रहने की दशा में, वह काटी गई किन्तु जमा न की गई राशि पर कटौती की तिथि से वास्तविक जमा की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर के साधारण ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने खण्ड 6 वा०क० वाराणसी के कार्यालय के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2019) की और पाया कि एक व्यापारी ने वर्ष 2013-14 के लिए संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर कर ₹ 5.26 करोड़ की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे 545 दिनों के विलम्ब से बिना विलम्ब पर देय ब्याज के भुगतान के जमा किया था। स्वीकृत कर का विलम्ब से जमा किया जाना कर की जमा की अद्यतन तिथि तक ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को आकृष्ट करता था। क०नि०प्रा० ने मार्च 2018 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को प्रभारित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2019)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज को प्रभारित कर दिया है।

⁷ धारा 34(1) सपठित धारा 34(9)।

3.6 व्यापारियों को अनुमन्य आईटीसी का अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 99.46 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कुल ₹ 1.60 करोड़ की आईटीसी अनुत्क्रमित रही।

उपरोक्त अधिनियम, 2008⁸ के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आईटीसी के रूप में अनुमन्य है। अग्रतर⁹, यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आईटीसी का दावा किया है तो, आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 के मध्य) चार वाकका में 367 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान ₹ 99.46 लाख की आईटीसी का त्रुटिपूर्ण दावा किया था, जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। कनिप्रा से अपेक्षित था कि वे (मई 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य) कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, इस गैर-अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आईटीसी की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते, जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.60 करोड़ (आईटीसी ₹ 99.46 लाख एवं ब्याज ₹ 60.33 लाख) की आईटीसी का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ (परिशिष्ट-V)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने एक मामले में ₹ 26.47 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 9.08 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गई थी। दो मामलों में, विभाग (अप्रैल 2021) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण सारणी-3.5 में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.5

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1.	ज्वाकमि (कास) वाकका बरेली: व्यापारी द्वारा माल के सकल खरीद ₹ 29,94,70,724 पर अनुमन्य आईटीसी ₹ 1,55,11,355 के विरुद्ध ₹ 1,74,23,828 का अधिक दावा किया था।	विभाग ने बताया कि ₹ 29,94,70,724 की उत्तर प्रदेश से (पंजीकृत) खरीद में सेनवैट की राशि सम्मिलित नहीं थी। तुलन पत्र में प्रदर्शित राशि में भी सेनवैट की राशि सम्मिलित नहीं थी। खरीद में सेनवैट की राशि सम्मिलित करने पर उत्तर प्रदेश	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी एवं व्यापारिक खाते एवं कर निर्धारण के समय उत्तर प्रदेश से पंजीकृत व्यापारियों से खरीद में ₹ 29,94,70,724 की खरीद कर निर्धारण आदेश में भी प्रदर्शित है। अग्रतर, तुलन पत्र में प्रदर्शित खरीद के द्विविभाजन में भी उत्तर प्रदेश से पंजीकृत व्यापारियों से ₹ 29,94,70,724 की खरीद सुस्थापित थी और इस

⁸ उपरोक्त अधिनियम, 2008 की धारा 13।

⁹ उपरोक्त अधिनियम, 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत।

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
		से (पंजीकृत) खरीद ₹ 33,64,45,089 है इस प्रकार ₹ 1,74,23,828 आईटीसी अनुमन्य की गयी थी।	प्रकार ₹ 1,55,11,355 की आईटीसी अनुमन्य थी। इस प्रकार, उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम के अनुसार ₹ 31,50,342 की ब्याज सहित आरआईटीसी वसूली योग्य है।
2	ज्वा० कमि० (का० सं०) वा० क० रेंज ए नोएडा: रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों पर 14/14.5 प्रतिशत की दर से आईटीसी का दावा किया गया था जबकि रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों पर पाँच प्रतिशत की दर से आईटीसी अनुमन्य है, जैसा कि यह अनुसूची-II भाग-क, क्रम सं० 105 पर वर्गीकृत है। अतएव, ब्याज सहित आईटीसी उत्क्रमित की जानी थी।	विभाग ने कहा कि रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जों से सम्बन्धित तैयार उत्पादों की बिक्री रेलवे को अनुसूची-II के अनुसार पाँच प्रतिशत की दर से की गई थी। किन्तु कच्चा माल एवं अतिरिक्त पुर्जे जो कि विभिन्न व्यापारियों से खरीदे गये थे, अवर्गीकृत थे और इसलिए, वे 14 प्रतिशत की दर से खरीदे गए थे। अग्रेतर, उपरोक्त मद पर 14 प्रतिशत की दर से वैट चार्ज किया गया था जो कि रेलवे विभाग से अन्य दूसरे व्यापारियों को बेचे गये हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी (फार्म-LII अनुलग्नक 4) यह स्पष्ट रूप से कहता है कि ¹⁰ खरीदा गया माल रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जे हैं। अग्रेतर, विभाग ने कहा कि यदि इन मदों (रेल के इंजन एवं डिब्बों के पुर्जे) की बिक्री रेलवे से इतर व्यापारियों को की गई है तो वैट 14 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया था। वैट अधिनियम के अनुसार माल की बिक्री पर कर की दर अनुसूची के अनुसार लागू होती है न कि व्यापारियों की श्रेणी के अनुसार। विभाग के दावे को सुस्थापित करने के लिए कोई समर्थक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए, आईटीसी को ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए था।

अवशेष ₹ 35.67 लाख की धनराशि के एक मामले में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (जुलाई 2021)।

3.7 स्रोत पर टीडीएस की कम कटौती

कर निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय एक व्यापारी द्वारा ₹ 10.64 करोड़ धनराशि के स्रोत पर कर की कम कटौती का पता लगाने में विफल रहे।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008¹¹ के अन्तर्गत, किसी संविदाकार या उप संविदाकार, जैसा भी मामला हो, को संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल की बिक्री के सम्बन्ध में भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यदि कटौती की राशि को सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी से अधिनियम में सन्दर्भित निर्देश प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भुगतान की सकल धनराशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा।

लेखापरीक्षा ने वा०क० खण्ड 14 नोएडा के कार्यालय के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2020) की और देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2015-16 के लिए संविदाकार को ₹ 736.99 करोड़ के टर्नओवर पर भुगतान करते समय स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 29.48 करोड़ के बजाय ₹ 18.84 करोड़ की धनराशि की कटौती

¹⁰ क्रम सं० 26 एवं 35 (₹ 2,94,50,280 एवं ₹ 1,51,07,252)।

¹¹ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 34।

की। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2018, में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ की स्रोत पर कर की कम कटौती हुई।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2020)। उत्तर (अप्रैल 2021) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और ₹ 10.64 करोड़ की स्रोत पर कर की कम कटौती के लिए ₹ 21.27 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया है।